तारा देवी:

अब इस 'विरोधी दल' के अगले प्लैन में विरोधियों द्वारा मिली हुई मोटी रकम के आधार पर, उनके बहलाने-फुसलाने में आकर, अपने ही मान-मर्तबे को झुकाने के लिए तारा देवी (उम्र 36 साल) कमर कसकर तैयार हो गई और कम्पिल थाने में भ्राता वीरेन्द्र देव दीक्षित के खिलाफ बलात्कार की झूठी एफ.आई.आर. दर्ज करवा दी। फिर भी एक दिन ऐसा आ ही गया जब तारा देवी को खुद महसूस होने लगा कि झूठ की नैया अब डूबने ही वाली है। तो तारा देवी ने भी निर्णय कर लिया कि कोर्ट के सामने असली बात बता ही दें। जो भी हो, झूठ को फिर एक बार सर झुकाना ही पड़ा, भले देरी से ही सही। इस बात में भी हम मेहनत-मशक्कत करने के बदली, फर्रुखाबाद की अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश की जजमेंट के वाक्यों को ही रिपीट करना चाहेंगे।

Tara Devi:

In course of the next plan by the "Opposition Group"; Tara devi, aged 36 years having got enticed and lured by them, came ready to bow down her self- respects and dignities. In gratitude of the funds received she has got registered an F.I.R at the Kampil Police station in tunes with the "Opposition Group". Alas! Her own day has come; she started repenting for her misdeed; she experienced her boat bundled with lies is going to sink. Result, she decided to put the facts as they are, in the presence of the court and resorted to a "U" turn from her earlier statements made before the Police. Whatever would have happened; the lies were put down, well, be it with a delay. Even in this matter we do not wish to waste our time in narrating the facts; we intend to place the rest in the words of the Honorable District and Sessions Judge, Farrukhabad as they are.

'' न्यायालय- अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-1, फर्रुखाबाद।

सत्र परीक्षण सं. 83/2000

राज्य प्रति- 1 . वीरेंद्र देव, 2 . शांता कुमारी, 3. कमला देवी दीक्षित

अपराध संख्याः 47/98 : धाराः 376, 120 बी, 109/114 भा.दं.सं. थाना कंपिल।

जिला फर्रुखाबाद।

सत्र परीक्षण सं. 235/2001 *अपराध संख्याः 47/98*

धाराः 376, 376 ग व 114 भा.दं.सं. थाना कंपिल

।

राज्य प्रति- 1 . वीरेंद्र देव दीक्षित, 2. कमला देवी, 3. शांता कुमारी

निर्णय :

पृष्ठ-2

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी तारा देवी, निवासी गली जन्मभूमि मथुरा ने दिनांक 16-04-98 को पुलिस अधीक्षक फर्रुखाबाद को एक प्रार्थना-पत्र दिया।

पृष्ठ-5

अभियुक्त वीरेंद्र देव के विरुद्ध यह आरोप है कि उसने वादिनी तारा देवी के साथ उसकी मर्ज़ी के बरखिलाफ बलात्कार किया और उसे जान से मारने की धमकी दी। इसके अतिरिक्त अभियुक्त कमला देवी और शांता बहन पर यह आरोप है कि उन्होंने वादिनी तारा देवी के साथ उसकी मर्ज़ी के विरुद्ध बलात्कार किए जाने के लिए आपराधिक षड़यंत्र किया और बलात्कार किए जाने के लिए दुष्प्रेरित किया और जान से मारने की धमकी दी।

इस तरह अभियुक्त वीरेंद्र देव के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 376, 376 ग और 506 और अभियुक्त कमला देवी और शांता बहन के विरुद्ध धारा 120 बी, 114, संगठित धारा 376 और 506 भा.दं.सं. के आरोप विरचित किए गए।

अभियोजन पक्ष की ओर से उक्त आरोप को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य के रूप में पी. डब्ल्यू.1 तारादेवी को पेश किया गया है।

साक्षी गण दशरथ पटेल, कैलाश चंद्र, चतुर्भुज गुप्ता, डॉक्टर अशोक पाहूजा को अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य से उन्मोचित करने की प्रार्थना की गई है, जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया और उक्त साक्षी गण को साक्ष्य से उन्मोचित किया गया।

पृष्ठ-6

अभियोजन पक्ष की ओर से जो चिकित्सीय साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, उससे अभियोजन पक्ष को कोई बल नहीं मिलता है। अब पत्रावली पर एकमात्र अभियोजन साक्षी संख्या 1 तारा देवी का साक्ष्य शेष रह जाता है।''

<u>अब हमारी बात :-</u>

जिला जज के उपर्युक्त कहे गए वाक्यों को देखते हुए हमें कुछ कहना ज़रूरी महसूस होता है। अब साक्षी गण जिन्होंने अपने को साक्ष्य से उन्मोचित करने के लिए कोर्ट से विनती की है और छुटकारा भी पा लिया, वह कोई और नहीं है, यह वही 'विरोधी दल' है जिसके अधिनायक रहे अहमदाबाद के प्रमुख वकील दशरथ ए. पटेल।

एक बार हम आपको फिर से याद दिलाते हैं कि रेणुका के केस में जिला जज ने क्या कहा ! उन्होंने यही कहा, *''पत्रावली पर मौजूद एवं अभिलेखीय साक्ष्य से यह तथ्य साबित होता है कि प्राण गोपाल वर्मन की पुत्री कु. कोनिका वर्मन को अपने-2 कब्जे में लेने के संबंध में इस घटना से पूर्व प्राण गोपाल वर्मन, अशोक पाहूजा, दशरथ ए. पटेल और कैलाशचंद्र का वीरेंद्र देव दीक्षित के आश्रम के लोगों से विवाद हुआ था, जिसमें प्राण गोपाल वर्मन पक्ष असफल रहा था और इसी बात की पक्षकारों के मध्य रंजिश रही थी और मुकदमेबाज़ी भी चली थी। इसी रंजिश में चलते यह मुकदमा एक वर्ष पूर्व की फ़र्जी घटना बताते हुए वादिनी (रेणुका) मुकदमा से संस्थित कराया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य तीन महिलाओं से भी, बलात्कार की घटना बनाकर, मुकदमे दर्ज कराए गए थे। जिनमें अभियुक्त गण भ्राता वीरेंद्र देव दीक्षित), कमला देवी दीक्षित, शांता बहन वगैरहको पहले से ही दोष (मुक्त किया जा चुका है।''*

इन बातों से यह स्पष्ट होता ही है, इस तारादेवी के केस में भी कौन-से विरोधी दल ने अपनी ताकत लगाई थी। अब विरोधी दल के सामने यह मजबूरी रही कि तारा देवी ने भी अपनी गलती महसूस की और कोर्ट के सामने सच्चाई को बताने का प्रण कर लिया, जिस कारण विरोधी दल को फिर से मैदान छोड़कर, पीठ दिखाकर भागना पड़ा।

हाँ ! अभी फिर चलेंगे, यह देखने, न्यायाधीश ने क्या कहा तारादेवी के बारे में।

''पृष्ठ-6

इस साक्ष्य ने मुख्य परीक्षा के दौरान शपथपूर्वक बयान में यह कहा है कि सन् 1997, माह अप्रैल में वह कंपिल आई थी। वहाँ पर उसकी भेंट वीरेंद्र देव दीक्षित, कमला बहन और शांता बहन से हुई।

पृष्ठ-7

उसने उनसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया । इस दौरान वीरेंद्र देव दीक्षित द्वारा उसके साथ उसकी मर्ज़ी के विरुद्ध बुरा काम- बलात्कार, शारीरिक संबंध स्थापित नहीं किया गया । इस साक्षी के द्वारा यह भी कहा गया कि शांता बहन और कमला देवी के द्वारा किसी भी प्रकार का यौन शोषण कराने के लिए कोई सहयोग नहीं किया गया । इस साक्षी को अपर जिला शासकीय अभिवक्ता द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर प्रति परीक्षा की गई है ।

साक्षी को तहरीर पेपर नं. 4 ए/2 पढ़कर सुनाई गई और दिखाई गई तो इस साक्षी ने कहा कि यह प्रार्थना-पत्र अशोक कुमार (अशोक पाहूजा) के द्वारा लिखा गया था, वही उसे बुलाकर लाए थे। वह अशोक कुमार (अशोक पाहूजा) के साथ थाना कंपिल गई थी। वहाँ पर दीवानजी ने एक कागज़ पर हस्ताक्षर करवाए थे ।

पृष्ठ-8

इस साक्षी को धारा 164 भा.दं.सं. का बयान पढ़कर सुनाया गया तो उसने कहा कि एक दरोगा उनका बयान कराने मैजिस्ट्रेट साहब के पास लाए थे । दरोगा जी ने मैजिस्ट्रेट साहब को सब बातें बता दी थीं । उसने पुलिस के दबाव में मैजिस्ट्रेट साहब के पूछने पर 'हाँ' कर दी थी। मैजिस्ट्रेट साहब ने उसके हस्ताक्षर कराए थे ।

पृष्ठ-9

इसके अतिरिक्त प्रति परीक्षा के दौरान, इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस साक्षी के साथ बाबा वीरेंद्र देव द्वारा कोई घटना घटित नहीं की गई है । इसके अतिरिक्त, अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त गण द्वारा जान से मारने की धमकी देने वाली बात को भी सिद्ध नहीं किया गया है ।

अत: संक्षेप में उपरोक्त विवेचना से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त गण के विरुद्ध जो मौखिक और चिकित्सीय साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, उससे अभियोजन कथानक की पुष्टि नहीं होती है ।

पृष्ठ-10,11

<u>आदेश :</u>

अभियुक्त वीरेंद्र देव को भा.दं.सं. की धारा 376, 376 ग और 506 और अभियुक्त गण कमला देवी और शांता बहन को भा.दं .सं. की धारा 120 बी, 114, संगठित धारा 376 और 506 के अंतर्गत लगाए गए आरोपों से दोष मुक्त किया जाता है ।

24-03-2006 अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-1, फर्रुखाबाद।''

अब उपर्युक्त जजमेंट को देखते हुए किसी को भी यही समझ में आता है कि दस सदस्यों वाले 'विरोधी दल' में से एक का नाम अशोक पाहूजा है, जिसने तारादेवी के माध्यम से भ्राता वीरेन्द्र देव दीक्षित को फँसाने का बीड़ा उठाया था और इस कार्य में पूरी ज़िम्मेवारी अपने कंधों पर ली थी। वह अपने-आप को साक्षियों के लिस्ट में से हटवाने के बावजूद भी अपनी हरकतों का दाग पूरा न मिटा पाया, न छुपा पाया; क्योंकि तारा देवी ने कोर्ट के सामने स्पष्ट करके बता ही दिया कि अशोक पाहूजा ने ही उन्हें झूठे शिकायत पत्र को तैयार करने से लेकर केस को अंत तक आगे बढ़ाने में सहयोग दिया था।

जब तारादेवी ने कोर्ट के सामने सच्चाई उगलने की जिद् पकड़ ली तो अशोक पाहूजा को पूरे ग्रुप सहित साक्षियों की लिस्ट में से हटना ही पड़ा। इस केस से संबंधित कोर्ट जजमेंट के कुछ मुख्य भाग इसके साथ जुड़े हुए हैं|

अब इस 'विरोधी दल' का अगला मोहरा हुई 'मीना कुमारी'। अब देखेंगे, मीना कुमारी के साथ क्या हुआ !

In the Court of Upper District and Sessions Judge, Court No.1, Farrukhabad.

Cross Examination No. 83/2000

Crime No. 47/98 Sections 376, 120B, 109/114 of the Indian Penal Code, Police Station Kampil. District Farrukhabad.

State vs. 1. Baba Virendra Deo Dixit 2. Shanta Kumari 3. Kamla Devi Dixit

Cross Examination No. 235/2001

Crime No. 47/98 Sections 376, 376A, 114 of the Indian Penal Code, Police Station Kampil. District Farrukhabad.

State vs. 1. Baba Virendra Deo Dixit 2. Kamla Devi Dixit 3. Shanta Kumari

ORDER:

Page: 2 of the Order:

In brief, the story is that the plaintiff Tara Devi, resident, Gali Janma Bhoomi, Mathura has given an application in the presence of the Superintendent of Police, Farrukhabad on 16-04-98.

Page: 5 of the Order:

The allegation against Virendra Deo Dixit is that he raped the plaintiff Tara Devi against her wish and threatened to kill her. Apart from this, the complaint against Kamla Devi and Shanta Behan is that they have made criminal conspiracy against her wish in forcing her to get raped and threatened to kill her. Accordingly Sections 376, 376 C and 506 against the accused Virendra Deo Dixit and Sections 120B, 114, along with Sections 376 and 506 of I.P.C against Kamla Devi Dixit and Shanta bahan are instigated. P.W.1 Tara Devi was presented before the court from the prosecution side.

The request from the prosecution side to free the group of witnesses consisting Dasharath Patel, Kailash Chandra, Chaturbhuj Agarwal and Ashok Pahuja has been accepted by the court and the said group of witnesses have been discharged from standing as evidences.

Page 6

The medical report has been presented by the prosecution; No strength can be attributed on account of this. Now only one witness No. 1, Tara Devi remains among the witnesses.

Now a few words of our own:

After having a vision towards what the District Judge has said; it appears, we have to say something. Here we can observe that the group of witnesses who stood as witnesses in this case and subsequently withdrawn are none but the same "Opposition Group" whose leader was the eminent lawyer Dasaradh A. Patel.

We can bring into our remembrances as to what has been said by the Honorable District Judge in the case of Renuka.

“” It gets proved from the documental evidence produced as well the oral examinations that, in connection with abetting Konica Varman, D/o. Prangopal Varman into their fold, there was a dispute among Prangopal Varman, Ashok

Pahuja, Dasaradh A Patel and Kailash Chandra and the people of Adhyatmik vidyalaya.

The Prangopal Varman group faced failure in this dispute and there was enmity on account of this matter between the two parties and cases were instigated in courts. While the enmity continued, the present case was made filed by the complainant Renuka. Apart from this, cases were filed by three more ladies by creating rape incidents in which Virendra Deo Dixit and Shanta Kumari were already freed by the courts.""

It gets very much cleared as to who are the "Opposition Group" that have used their energies in this case of Tara Devi also. Now the "Opposition Group" was left with no other choice except withdrawing themselves from standing as witnesses for the reason that the complainant woman Tara Devi also started feeling repentance and decided to stand to the truth in the court. Hence the "Opposition Group" had to pack up their beddings of deeds and flee from the scene. Now let us move to what has been said by the Honorable District Judge in this case of Tara Devi.

Page 6

This witness (Tara Devi) in her cross examination on oath said that she has gone to Kampil during April 1997.

Page 7

She got spiritual knowledge from them. No illegal act ; rape, bodily connection was established by Virendra Deo Dixit in this connection. It was also told by this witness that neither Shanta Bahan nor Kamla Devi Dixit has helped in any kind of sexual harassment. This witness has been examined by the Public Prosecutor and was declared as hostile.

She was examined by the District Public Prosecuter and when she was shown the statement given by her as statement paper No. 4A/2, and made her hear, she has said that this request letter was written by Ashok Kumar (Pahuja). He himself has brought her there. She went to Kampil Police station along with Ashok kumar where she was made to put her signature on a paper by the writer of the police station.

Page 8 :

When the statement under Section 164 of I.P.C read and informed to this witness, she has said that the inspector has taken her to the Magistrate for giving statement.

The inspector has told all the matter. When the magistrate has asked her, she has asserted under the pressure of police. The magistrate has got her signature.

Page 9:

Apart from this, this witness has in her statement under cross examination made it clear that that no incident has happened relating to Baba Virendra Deo Dixit with her. Apart from this, the matter relating to threat with murder by the group of accused was not proved by the prosecution.

As such after hearing the arguments, I reached to a clear conclusion that the no strength can be given to the story on the basis of oral and medical report submitted by the prosecution.

Page 10-11

ORDER;

The accused Virendra Deo is discharged from the charges framed against him under sections 376, 376 ga of the I.P.C and 506 and the accused Kamala Devi and Shanta behan are freed from the charges framed against them under sections 120B, 114 read with section 376 and 506 I.P.C.

24-03-2006 Upper District & Sessions Judge,

Court No.1, Farrukhabad.

Our Comments: As seen from the above judgment, it is apparently clear that one of the main members of the "Opposition Group" Ashok Kumar (Ashok Pahuja), who has taken the total responsibility of implicating Spiritual Brother Virendra Deo Dixit through Tara Devi could neither erase nor hide his malicious deeds despite withdrawing his name from the list of the witnesses for the reason that Tara Devi had made it clear before the court that he (Ashok Pahuja) has made strenuous efforts right from drafting the F.I.R, and followed up till the end. When Tara Devi has turned hostile to throw light on the foundations and follow up of the conspiracy drawn by the "Opposition Group", he (Ashok Pahuja) had to move away along with the group from the list of the witnesses. Some important extracts from the judgment are annexed in continuation. The next pawn moved by the "Opposition Group" is Meena Kumari. Let us see what happened with Meena Kumari.

मु० अ० सं० 59/99 धारा 376/120 B IPC थाना कम्पिल

1/18

Seen.

AC Jain
Fit for Judicial Work
20.4.98

मूल हिन्दी ... सी० आई० डी० ...

आख्यान, बार ...

प्रथम सूचना की रिपोर्ट

पुलिस प्रारूप संख्या 341

रा० पे० नं० 13

जी० डी० नं० मूल संख्या

हस्ताक्षर पृष्ठ संख्या

दण्ड विधि-संग्रह की धारा 154 के अन्तर्गत पुलिस द्वारा हस्तक्षेप किये जाने योग्य अपराध की प्रथम सूचना

थाना — कम्पिल

तहसील — कायमगंज

जिला — फर्रुखाबाद

संख्या — 59/99

C 463232

घटना का दिनांक व समय — अप्रैल 1997
दिनांक व समय — ... ...

दिनांक ... रिपोर्ट की गई	घटनास्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी	पुलिस स्टेशन से रवाना होने का दिन
16.4.99 समय 23.15 बजे	आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्व विद्यालय ... कम्पिल ...	रवानगी डाक

नोट—प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठे का चिह्न लेना चाहिए और इसकी तसदीक लिखने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होनी चाहिये।

सूचना देने वाले या वादी का नाम व निवास-स्थान	अभियुक्त का नाम व निवास-स्थान	धारा सहित अपराध व जो माल लिया गया (यदि कोई हो) का संक्षिप्त विवरण	तहकीकात के सम्बन्ध में जो कार्यवाही हो चुकी हो तथा सूचना के दर्ज करने में देरी होने का कारण	नतीजा का परिणाम
श्रीमती गीता देवी पुत्री श्री मूलचन्द नि० ... अगुनपुरा (...)	स्वामी वीरेन्द्र देव दीक्षित संचालक आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्व विद्यालय कम्पिल ... वीरेन्द्र देव दीक्षित पता ... आगरा ... पता ...	षडयन्त्र के अनुरूप इच्छा के विरुद्ध ... के साथ बलात्कार किया जाना। धारा 376/120 B IPC	... [illegible] ... होगी	विवेचना होगी

प्रथम सूचना पृष्ठ भाग में लिखी जायेगी।

हस्ताक्षर

नोट—सूचना देने वाले का हस्ताक्षर या निशानी अंगूठा लिखी ... जायेगा।

प्रो० मु० ... 14-1-92 ...

-: फोलियो :-

केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना-पत्र देने की तारीख Date on which application is made for copy accompaned by the requisite stamps	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख Date of posting notice on notice board	नकल वापिस दिये जाने की तारीख Date of delivery of copy	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर Signature of official delivering copy.
6 10-4-06 [illegible] [illegible]	15-4-06	17-4-06	Sd/- 17-4-06

A. K. SHARMA
ADVOCATE
Distt. Court, [illegible]

3/100

A. K. SHARMA
ADVOCATE
Distt. Court, [illegible]

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट सं0 1 फर्रुखाबाद

उपस्थित- श्री नीरज कुमार सिंह. . . . . एच0जे0एस0

सत्र परीक्षण संख्या- 83/2000

राज्य

प्रति

1- वीरेन्द्र देव

2- शान्ता कुमारी

3- कमला देवी दीक्षित

मु0अ0सं0 47/98
धारा 376, 120बी, 109/114 भा0द0सं0
थाना- कायमगंज
जिला- फर्रुखाबाद

एवं

सत्र परीक्षण संख्या 235/2001

राज्य

प्रति

1- वीरेन्द्र देव दीक्षित

2- कमला देवी

3- शान्ताकुमारी

मु0अ0सं0 47/98
धारा 376, 376ग/114भा0दं0सं0
थाना- कायमगंज
जिला- फर्रुखाबाद

निर्णय

प्रस्तुत प्रकरण अभियुक्तगण वीरेन्द्र देव दीक्षित व शान्ता कुमारी को भा0दं0सं0 की धारा 376/120बी 109/114 के अन्तर्गत परीक्षित किये जाने हेतु थाना कायमगंज की पुलिस द्वारा लाया गया है और यह मामला दिनांक 14.10.2000 के आदेश से सत्र सुपुर्द होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है ।

अभियुक्तगण कमलादेवी दीक्षित, वीरेन्द्र देव शान्ता कोम को भा0दं0सं0 की धारा 376, 376ग व 114 के अन्तर्गत परीक्षित किये जाने हेतु सी0जे0एम0आई0डी0 द्वारा यह प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया है और यह मामला दिनांक 30.07.01 के आदेश से सत्र सुपुर्द होकर इस न्यायालय में पेश किया गया है ।

उक्त दोनों मामले एक ही घटना क्रम से संबंधित होने के कारण

विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता की प्रार्थना पर दोनों मामलों को समाकित करके परीक्षण किया गया है ।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी तारादेवी पुत्री मूल चन्द्र निवासी गली जन्म भूमि मथुरा अर्जुनपुर उ०प्र० ने दिनांक 16.4.98 को पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना-पत्र दिया । प्रार्थना-पत्र के अनुसार वर्ष 1994 में वादिनी के द्वार कम्पिल के राजबहादुर तथा सियाराम भाई आये और आकर शंकर पार्वती का ज्ञान सुनाया । वादिनी उनके कहने पर दो दिन के लिए कम्पिल आयी । उसके बाद में अप्रैल 1997 में कंपिल के सियाराम व नवीन मोदी वादिनी के पास आये और उसे कम्पिल ले गये, जहाँ वादिनी को बताया गया कि वीरेन्द्रदेव दीक्षित तथा कमला दीक्षित को, जो कि साक्षात शंकर पार्वती के अवतार हैं, माता-मम्मी कहा जाता है । दूसरी रात वादिनी को मम्मी जी उठाकर बाबा के पास ले गयी, जहाँ बाबा नंगे खड़े थे । अन्दर मम्मी व शान्ता बहिन थी उन्होंने दरवाजा बन्द कर दिया तथा वादिनी के जबरदस्ती कपड़े उतरवा लिए । वादिनी चिल्लाई, लेकिन किसी पर कोई असर नहीं हुआ । उन्होंने वादिनी के साथ जबरदस्ती लिटाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध बाबा से बलात्कार कराया । सुबह वादिनी को जानकारी हुई कि वहाँ पर रहने वाली हर युवती के साथ परमात्मा मिलन के नाम से यौन शोषण हो चुका है । उक्त वादिनी की रिपोर्ट प्रदर्शक-1 के आधार पर प्रदर्शक-3 मुकदमा कायम हुआ, जिसका इन्द्राज जी०डी०प्रदर्शक-4 में किया गया । विवेचना द्वारा उक्त मामले की जाँच के दौरान घटना स्थल का नक्शा नजरी, प्रदर्शक-7 तैयार किया गया । वादिनी की डाक्टरी कराकर डाक्टरी रिपोर्ट

प्रदर्श क-6 प्राप्त की तथा घटना स्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क-7 तैयार किया गया ~~तथा डाक्टर राममनोहर लोहिया के डाक्टर द्वारा दी गई पैथोलोजी फार्म की पृष्ठ पर रिपोर्ट प्रदर्श क-9 है~~ पैथोलोजी रिपोर्ट दाखिल की गयी तथा विवेचना पूर्ण होने के बाद घटना सही पाये जाने पर विवेचक द्वारा प्रदर्श क-8 आरोप-पत्र व सी0बी0सी0आई0डी0 द्वारा आरोप-पत्र प्रदर्श क-10 न्यायालय में दाखिल किया गया ।

अभियुक्त वीरेन्द्र देव पर धारा 376, 376ग व 506 भा0दं0सं0 व अभियुक्तागण कमला देवी व शान्ता बहिन पर भा0दं0सं0 की धारा 120बी, 114 सपठित धारा 376 व 506 के आरोप विरचित किये गये । उक्त आरोपों से अभियुक्तगण द्वारा इन्कार किया गया अतः उनका विधिवत परीक्षण किया गया ।

अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त आरोपों को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा मौखिक साक्ष्य के रूप में मात्र एक साक्षी पी0डब्लू01 तारा देवी को पेश किया गया है ।

अभिलेखीय साक्ष्य में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्श क-1 तहरीरी रिपोर्ट, प्रदर्श क-2 पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 164 प्रदर्श क-3 चिक रिपोर्ट, प्रदर्श क-4 व प्रदर्श क-5 जी0डी0 की कार्बन प्रति, प्रदर्श क-6 चिकित्सीय रिपोर्ट, प्रदर्श क-7 नक्शा नजरी, प्रदर्श क-8 आरोप-पत्र, पैथोलोजी रिपोर्ट प्रदर्श क-9 व प्रदर्श क-10 आरोप-पत्र द्वारा सी0बी0सी0आई0डी0 दाखिल किया गया है ।

अभियोजन का साक्ष्य समाप्त होने के बाद अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया, जिसमें

अभियुक्तगण ने अपने बयानों में कहा है कि उनके खिलाफ गलत रिपोर्ट लिखायी गयी है एवं गलत अभिलेखीय साक्ष्य दाखिल किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा लिखित बयान दाखिल किया गया, जिसमें अभियुक्त वीरेन्द्र दीक्षित ने अपने लिखित बयान में कहा है कि उसके आश्रम की प्रतिष्ठित महिलाओं व उसके विरुद्ध दशरथ पटेल, अशोक आहूजा, चतुर्भुज अग्रवाल, रामप्रताप व कैलाशचन्द्र ने कुछ महिलाओं को खरीदकर अधिकारियों से मिलकर झूठी प्राथमिकी अंकित करायी है। अभियुक्त कमलादेवी ने भी कहा है कि बाबा वीरेन्द्र देव दीक्षित की मदद करने के कारण उससे माउन्टआबू के ब्रह्मकुमारी के आश्रम की संचालिका नाराज हो गयी थी और बाबा वीरेन्द्र देव दीक्षित के साथ साथ उसके विरुद्ध भी झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है। अभियुक्त शान्ताकुमारी ने कहा है कि बाबा वीरेन्द्र देव दीक्षित की मदद करने के कारण ~~मुझसे~~ उससे भी माउन्टआबू के ब्रह्माकुमारी आश्रम की संचालिका नाराज हो और बाबावीरेन्द्रदेव दीक्षित के साथ-2 उसके विरुद्ध भी झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है।

अभियुक्तगण की ओर से प्रति रक्षा साक्ष्य में लिखित साक्ष्य के रूप में सूची 76 बी से 76 बी/2 लगायत 76बी/8, सूची 76बी/9 से 76बी/10 लगायत 76बी/18, 76बी/19 सूचीसे 76बी/20 लगायत 76बी/32 सूची 76बी/33 से 76 बी/34 76 बी/45, सूची 76बी/46 से 76बी/47 लगायत 76बी/48, सूची 76बी/49 से 76बी/50 लगायत 76 बी/53

सूची 76बी/54 से 76बी/55 लगायत 76बी/59, सूची 76बी/60 से 76बी/61 लगायत 76बी/66 व सूची 76बी/67 से 76बी/68 लगायत 76बी/70 कागजात दाखिल किये गये है ।

मैंने अपर जिला शासकीय अधिवक्ता एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

अभियुक्त बीरेन्द्र देव के विरुद्ध यह आरोप है कि उसने वादिनी तारादेवी के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ बलात्कार किया और उसे जान से मारने की धमकी दी । इसके अतिरिक्त अभियुक्ता कमलादेवी व शान्ता बहन पर यह आरोप है कि उन्होंने वादिनी तारादेवी के साथ उसकी मर्जी के विरुद्ध बलात्कार किये जाने के लिए आपराधिक षडयन्त्र किया और बलात्कार किये जाने के लिए दुष्प्रेरित किया व जान से मारने की धमकी दी। इस तरह अभियुक्त बीरेन्द्र देव के विरुद्ध भा0दं0सं0 की धारा 376, 376ग व 506 व अभियुक्त कमलादेवी व शान्ता बहन के विरुद्ध धारा 120बी, 114 सपठित धारा 376 व 506 भा0दं0सं0 के आरोप विरचित किये गये ।

अभियोजन पक्ष की ओर से उक्त आरोप को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य के रूप में पी0डब्लू0 1 तारादेवी को पेश किया गया है । साक्षीगण दशरथ एम पटेल, कैलाशचन्द्र, चतुर्भुज गुप्ता व अशोक आहूजा को अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य से उन्मोचित करने की प्रार्थना की गयी है, जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया और उक्त साक्षीगण को साक्ष्य से उन्मोचित

- किया जाना।

अब देखना यह है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य से अभियोजन का मामला कहाँ तक साबित होता है। इस संबंध में अभियोजन पक्ष ने अभिलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श क-6 पीड़िता की चिकित्सीय रिपोर्ट व प्रदर्श क-9 पैथालॉजिस्ट परीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। प्रदर्श क-6 चिकित्सीय रिपोर्ट में चिकित्सक द्वारा यह कहा है कि बलात्कार के संबंध में अंतिम राय वेजाइनल स्मीयर की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद दी जायेगी, लेकिन बलात्कार के संबंध में कोई अन्तिम रिपोर्ट दाखिल नहीं की गयी है। इसके अतिरिक्त प्रदर्श क-9 पैथालाजी की रिपोर्ट भी वेजाइनल स्मियर में कोई स्पर्म मेटोजा नहीं पाये गये। अतः अभियोजन पक्ष की ओर से जो चिकित्सीय साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, उससे अभियोजन पक्ष को कोई बल नहीं मिलता है।

अब पत्रावली पर एक मात्र अभियोजन साक्षी संख्या 1 तारादेवी का साक्ष्य शेष रह जाता है। इस साक्षिया के साक्ष्य का महत्व इस प्रकरण की वादिनी होने के कारण और भी अधिक बढ़ जाता है। इस साक्षी द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फर्रुखाबाद को घटना की लिखित तहरीर देकर अभियुक्तगण के विरुद्ध मुकदमा कायमकराया गया इसके साथ साथ यह साक्षी इस घटना की पीड़िता भी है। इस साक्षिया ने मुख्य परीक्षा के दौरान शपथपूर्वक बयान में कहा है कि सन 1997 माह अप्रैल में सियाराम व नवीन मोदी की प्रेरणा पर वह कम्पिल आयी थी। वहाँ पर उसकी भेंट बीरेन्द्र देव दीक्षित

कमला बहन व शान्ता बहन से हुई । उसने अपने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया । इस दौरान बाबा वीरेन्द्र देव दीक्षित द्वारा उसके साथ उसकी मर्जी के विरुद्ध बुरा काम बलात्कार शारीरिक संबंध नहीं स्थापित किया गया । इस साक्षी द्वारा यह भी कहा गया कि शान्ता बहन व कमला देवी द्वारा किसी भी प्रकार का योन शोषण करने के लिए कोई सहयोग नहीं किया गया । इस साक्षी को अपर जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर प्रति परीक्षण की गयी है । साक्षी को तहरीर पेपर नम्बर 49/2 पढ़कर सुनायी गयी व दिखायी गयी तो इस साक्षी ने कहा कि यह प्रार्थना-पत्र अशोककुमार द्वारा लिखा गया था । वही उसे बुलाकर लाये थे । वह अशोककुमार के साथ थाना कम्पिल गयी थी, जहाँ पर दीवानजी ने उसके एक कागज पर हस्ताक्षर करवाये थे । चिक रिपोर्ट पेपर नं0 49/1 पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर देखकर कहा कि यह उसके हस्ताक्षर है चिक रिपोर्ट उसे पढ़कर नहीं सुनायी गयी थी । जब इस साक्षी को प्रदर्श क-1 पढ़कर सुनाया गया तो उसने कहा कि उसने अशोककुमार से यह लिखाने को नहीं कहा था " कि दूसरी रात को मम्मी जी उठाकर बाबा के पास ले गयी थी जहाँ बाबा नंगे पड़े थे । अन्दर मम्मी और शान्ता बहन थी और उन्होंने दरवाजा बन्द करदिया तथा उसके कपड़े जबरदस्ती उतरवा लिए तथा उन्होंने उसको जबरदस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध बाबा से बलात्कार कराया, अशोककुमार ने कैसे लिखी दी, इसकी वजह वह नहीं बता सकती है ।

दरोगाजी या किसी पुलिस वाले ने उससे कोई पूछताछ नही की थी ।
इस साक्षी को धारा 161 सी0आर0पी0सी0 का बयान पढ़कर सुनाया गया तो इस साक्षी ने कहा कि यह बयान उसने कभी किसी विवेचक को नही दिया था । इस साक्षी को विशेष अपराध अनुसन्धान शाखा के विवेचक द्वारा अंकित किये गये धारा 161 के बयान को पढ़कर सुनाया गया तो उसने कहा कि ऐसा कोई बयान उसने किसी विवेचक को नही दिया था । उपरोक्त दोनो बयान कैसे लिख दिये, वह नहीं बता सकती है । इस साक्षी को धारा 164 दं0प्र0सं0 का बयान पढ़कर सुनाया गया तो उसने कहा कि एक दरोगा उसका बयान कराने मजिस्ट्रेट साहब के पास लाये थे । दरोगाजी ने मजिस्ट्रेट साहब को सब बाते बता दी थी । उसने पुलिस के दबाव में मजिस्ट्रेट साहब के पूछने पर हाँ कर दी थी " मजिस्ट्रेट साहब ने उसके हस्ताक्षर कराये थे । इस साक्षी ने यह भी कहा है कि उसने मजिस्ट्रेट साहब द्वारा दिये गये बयान को पढ़ा नही था और न उसे पढ़कर सुनाया गया था । इस साक्षी का यह भी बयान है कि जिस दिन रिपोर्ट लिखी गयी थी वह अशोककुमार के साथ थाने गयी थी उसके बाद कोई पुलिस वाला उसका बयान लेने अथवा लिखा पढ़ी करने नही आया था । इस प्रकार सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा की गयी प्रति परीक्षा मे इस साक्षी ने कहा है कि उसने तहरीर लेखक अशोककुमार को यह बात नही बतायी थी ।
इस साक्षी ने स्पष्टरूप से कहा है कि उसने विवेचक को दौरान विवेचना

वीरेन्द्र देव द्वारा बलात्कार करने की बात नही बतायी थी और शान्ता बहन व कमला द्वारा बलात्कार किये जाने के आपराधिक षडयन्त्र रचने की कोई बात नही बतायी थी । इस साक्षी ने अपने बयान मे कहा है कि उसने किसी को यह बात नही बतायी थी और उसने मजिस्ट्रेट द्वारा लिखे गये बयानो को पढ़ा नही था और न ही उसे पढ़कर सुनाया गया था । इस तरह से इस साक्षी ने, प्र.सू.रिपोर्ट व धारा 161व164 दं०प्र०सं० के बयानो मे कहे गये अभिकथनो को शपथपूर्वक बयान मे समर्थन नही किया है ।

इस साक्षी से अभियुक्तगण की ओर से प्रति परीक्षा की गयी है । प्रति परीक्षा के दौरान इस साक्षी ने अपने बयान मे कहा है कि किसी पुलिसवाले ने उसकी निशानदेही पर कोई नक्शा नजरी नही बनाया था । इस साक्षी द्वारा दिये गये बयान मे इस बात के बयान पर संदेह उत्पन्न हो जाता है कि विवेचक द्वारा ~~कोई~~ बिना साक्षी की निशानदेही पर नक्शा नजरी बनाया गया था यह भी भी संदेह होता है कि विवेचक द्वारा ~~किसी मजिस्ट्रेट के सामने इस साक्षी का बयान कराया गया~~ मामले की स्वतन्त्र व निष्पक्ष विवेचना की गयी । इसके अतिरिक्त प्रति परीक्षा के दौरान इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस साक्षियों के साथ बाबा वीरेन्द्रदेव द्वारा कोई घटना घटित नही की गयी है । इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तगण द्वारा जान से मारने की धमकी देने वाली बात का भी सिद्ध नही किया गया है ।

अतः संक्षेप मे उपरोक्त विवेचना से मै इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तगण के विरुद्ध जो मौखिक

व चिकित्सीय साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है , उससे अभियोजन कथानक की पुष्टि नही होती है । अभियोजन पक्ष की ओर से घटना के संबंध मे पी०डब्लू०। तारादेवी को पेश किया गया है इस साक्षी ने अपने शपथपूर्वक बयान में, तहरीरी रिपोर्ट मे कहे गये अभिकथनो, धारा 161 सीआर०पी०सी० के अन्तर्गत दिये गये बयानो का धारा 164 सी०आर०पी०सी० में दिये गये बयानो का उल्लेख किया है । इसके अतिरिक्त पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नही है , जिससे अभियुक्त बीरेन्द्र देव द्वारा बलात्कार किये जाने व अभियुक्तगण शान्ता बहिन व कमला द्वारा आपराधिक षडयन्त्र मे भाग लेना सिद्ध होता हो अत: पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोप धारा 376, 376ग, 120बी व 506 के आरोप संदेह से परे साबित नही होता है अत: अभियुक्तगण उक्त लगाये गये आरोपो से दोष मुक्त होने योग्य है ।

आदेश

अभियुक्त बीरेन्द्र देव को भा०दं०सं० की धारा 376 , 376ग व 506 व अभियुक्तगण कमल देवी व शान्ता बहिन को भा०दं०सं० की धारा 120 बी , 114 सपठित धारा 376 व 506 के अन्तर्गत लगाये गये आरोपो से दोष मुक्त किया जाता है ।

अभियुक्तगण जमानत पर है उनके निजी बन्ध-पत्र निरस्त किये जाते है तथा उनके जमानतनामे निरस्त कर जामिनदारो को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

इस निर्णय की एक प्रति सत्र परीक्षण संख्या 235/2001 की पत्रावली में रखी जाये ।

दिनांक 24.3.06,

24.3.06
(निरिज कुमार संगल)
अपर सत्र न्यायाधीश
फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-1
फर्रुखाबाद

यह निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया ।

दिनांक 24.3.06

24.3.06
(निरिज कुमार संगल)
अपर सत्र न्यायाधीश
फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-1
फर्रुखाबाद

PDR. Shanthi Kumari

प्रमाणित प्रतिलिपि
15.4.06